बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–3 / अ0प्र0–1–45 / 2014(Recast) 1586 / पटना, दिनांक :– 7-7-23

श्री बद्री प्रसाद साह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध सेतु अन्वेषण प्रमंडल, पटना में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन के दौरान आवंटित सरकारी आवास के अनाधिकृत उपयोग के आरोप के लिए भवन निर्माण विभाग के स्तर से संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में तत्समय उनकी सेवा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरण के पश्चात् विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त अधिसूचना सं0--3656 दिनांक 15.12.2016 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री साह द्वारा माननीय उच्च न्यायलय, पटना में C.W.J.C. N0.-14814/2016 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 13.08.2019 को पारित आदेश में उक्त दंडादेश को Quash करते हुए मामले में आरोप पत्र के आधार पर नये सिरे से जॉच कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त अधिसूचना सं0–2877 दिनांक 04.10.2019 द्वारा उक्त दंडादेश को निरस्त करते हुए श्री साह के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3037 दिनांक 30.10.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के तहत अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 47 अनु0 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री साह के विरूद्ध गठित 4 आरोपों में से आरोप सं0--3, जो सहायक अभियंता, सेतु अन्वेषण प्रमंडल, पटना से स्थानान्तरण के पश्चात् पूर्णियाँ में पदस्थापित रहते हुए सरकारी आवास भत्ता भी प्राप्त करते रहने से संबंधित है, को प्रमाणित पाया गया। आरोप सं0–4, जो स्थानान्तरण के पश्चात् सरकारी आवास खाली नहीं कर अपने अधीन रख कर श्री दिनकर मिश्रा को किराया पर दिये जाने से संबंधित है, को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री साह से विभागीय पत्रांक 1899 अनु0 दिनांक 31.12.2021 एवं विभागीय पत्रांक 2116 अनु0 दिनांक 15.12.2022 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. श्री साह द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि सरकारी आवास सं0–H/3 दिनांक 01.03.2005 से सितम्बर 2007 तक उनके उपयोग में रहा। इसके पश्चात् उनका पदस्थापन पूर्णियाँ हो गया, जहॉ दिनांक 01.10.2007 से प्रभार प्राप्त कर कार्यरत रहे। इसके बाद उनके द्वारा H/3 आवास नहीं रखा गया। स्थानान्तरण के बाद जिला परिषद, पूर्णियाँ में भाड़े पर रहने के कारण आवास भत्ता लिया गया, जिसका वे हकदार थे। पूर्णियाँ हस्तानान्तरण के बाद दिनांक 01.10.2007 से आवास खाली करने की सूचना संबंधित सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना–1 को दी गयी थी एवं उक्त आवास को खाली मानकर

अन्य पदाधिकारी को आवंटित करने तथा No dues clearance के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, परन्तु तत्कालीन केयर टेकर रामू एवं कनीय अभियंता, श्री कपिलदेव चौधरी की आवास अनियमितता की साजिश के तहत No dues Details प्राप्त नहीं हो सका। उक्त केयर टेकर एवं कनीय अभियंता को इस अनियमितता के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा दंड भी दिया गया है।

6. श्री साह के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी। समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी आवास को किराये पर देने के आरोप में भवन निर्माण विभाग के द्वारा संबंधित केयर टेकर श्री रामू एवं कनीय अभियंता, श्री कपिलदेव चौधरी को दंडित किया जा चुका है तो फिर उसी आरोप में श्री साह को दोषी मानना न्यायसंगत नहीं है।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री साह के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य पाते हुए इन्हें प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन सहायक अभियंता, सेतु अन्वेषण प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/7/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–45/2014(Recast) 1587 /पटना, दिनांक :– 7-7-23

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

6/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–45/2014(Recast) 1587 /पटना, दिनांक :– 7-7-23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–45/2014(Recast) 1587/पटना, दिनांक :– 7.7.23

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन सहायक अभियंता, सेतु अन्वेषण प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। पत्राचार का पता:–चाणक्यपुरम कॉपरेटिभ, चुल्हाचक, खगौल, दानापुर, जिला–पटना, पिनकोड–801105 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–45/2014(Recast) 1587/पटना, दिनांक :– 7.7.23

प्रतिलिपि :–माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/7/2023

विशेष सचिव